तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन आदे''ा 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी एवं आदे''ा 22 नियम 3 जा. दी. एवं 22 नियम 9 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08.06.2011 को उसे पता चला कि उक्त उनवान का प्रकरण वकील के हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करने से दिनांक 16.06.1991 को अदम हाजरी में खारिज हो गया है, जिसके मुकदमा नंबर 130/1988 थे। वकील साहब ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करने के पूर्व उसे कोई नोटिस नहीं दिया। अतः प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक उक्त आवेदन मयाद बाहर होना मानकर दिनांक 06.10.2017 को खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.10.2017 को पे''ा की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि कानूनन हिदायत पैरवी नहीं करने से पूर्व पक्षकार को सूचना दी जाना आव''यक है। अपीलान्ट ने उक्त आवेदन को पुनः नंबर पर लेने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिस आधार पर वाद खारिज किया गया वह एबइनि''योवाईड है तथा ऐसे आदे''ाों के लिए मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त जाकर पत्रावली पुनः नम्बर	

पर लेकर रिमाण्ड के दिन से अग्रिम कार्यवाही करने का आदे''ा प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाशक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया वकील श्री मदनलाल ओस्तवाल ने स''ापथ निवेदन किया है कि वह वादी के दादा वरदा जी के वकील थे। अपीलान्ट यह कथन किया है कि उनके दादा वरदा की मृत्यु दिनांक 12.08.1990 को हो चुकी है, जिससे वे दिनांक 16.08.1991 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी पे''ा किया तथा यह भी निवेदन किया कि उनके दादा की मृत्यु के पूर्व दिनांक 21.03.1983 को उसके पिता की मृत्यु हो गयो थी तथा दादा की मृत्यु के समय वह नाबालिग होकर उसकी उम्र 12–13 वर्श ही थी। साथ ही प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय में वरदा के अनुपस्थित रहने का कारण स्पश्ट है कि उस समय उसका देहावसान हो चुका था तथा उसका वारिस अपीलान्ट होकर उस वक्त नाबालिग था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा उसका प्रकरण अदम हाजिरी में खारिज हो जाने के कारण उसके द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन के साथ प्रकरण को पुनः नंबर लेने का जो प्रार्थना पत्र आदे''ा 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी एवं आदे''ा 22 नियम 3 जा.दी. एवं 22 नियम 9 जा.दी. किया है, उसका उचित कारण होने से स्वीकार योग्य था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना मानकर खारिज कर दिया, जो हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन की रो''ानी में त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इन निर्दे''ाों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित की जाती है कि वह प्रकरण को

पुनः नंबर पर लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली फेसल भुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर